

# अनुज्ञा प्रार्थना-पत्र

(छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 277 के अन्तर्गत)

श्रीमान,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

आगरा छावनी।

सेवा में,

निवेदक है क प्रार्थी को वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए छावनी क्षेत्र में निम्न स्थान पर निम्न प्रकार

का व्यवसाय करने का अनुज्ञा पत्र (लायसेन्स) प्रदान की कृपा करें।

विवरण निम्न प्रकार है-

1-पुराने अनुज्ञा पत्र के नम्बर आदि \_\_\_\_\_

2-फर्म का नाम \_\_\_\_\_

3-मालिक अथवा मैनेजर का नाम \_\_\_\_\_

वल्दियत व घर का पता \_\_\_\_\_

4-व्यापार का स्थान \_\_\_\_\_

5-वस्तुओं का विवरण जिनका व्यवसाय करना चाहते हैं \_\_\_\_\_

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि व्यवसाय से सम्बन्धित सभी नियमों का द्रढ़ता से पालन करता रहूँगा और दुकान के सामने की सरकारी जगह को अपने व्यवसाय हेतु प्रयोग नहीं करूँगा ना रास्ता रोकूँगा अन्यथा बोर्ड के अधिकारी को अधिकार होगा कि वह सरकारी जगह को तुरन्त खाली करा लें और अनुज्ञा पत्र (लायसेन्स) को निलम्बित कर दें।

प्रार्थी-

केवल सरकारी प्रयोग हेतु

1. स्वास्थ्य अधीक्षक/कर अधीक्षक की टिप्पणी-
2. स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा-
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी की आज्ञा अथवा बोर्ड का निर्णय-

# छावनी अधिनियम 2006 की धारा 76 के अधीन व्यक्तिगत सूचना

प्रेषित

श्री/श्रीमती.....  
.....  
.....

विषय : कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण – रजि. 20 – 20

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 76 की अपेक्षानुसार आपको सूचना दी जाती है कि छावनी परिषद आगरा ने एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की है, जिसकी लोक सूचना पहले ही (तारीख) ..... को प्रकाशित की जा चुकी है और आपकी सम्पत्ति का, निर्धारण .....रु0 से बढ़ाकर.....रु0 प्रति वर्ष कर दिया गया है।

1. यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो आप इस सूचना प्राप्ति से एक माह के अन्तर्गत यह कथन करते हुए कि निर्धारण के बारे में आपको आपत्ति क्या है, लिखित में सूचित करें।
2. निर्धारण समिति, द्वारा एक माह के पश्चात् आपसे प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

# छावनी अधिनियम 2006 की धारा 76 के अधीन भेजी गई

## सूचना के संदर्भ

प्रेषित .....

.....

.....

विषय : असिसमेन्ट वर्ष 20 - 20

आपके उक्त नोटिस के एतराज दिनांक .....के सन्दर्भ में आपको सूचना दी जाती है कि आपके पुनरीक्षित निर्धारण और मूल्यांकन पर निर्धारण समिति द्वारा तारीख .....को विचार किया जायेगा।

निर्धारण समिति (तारीख) ..... के पश्चात् आपसे प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं करेगी।

छावनी परिषद आगरा

सं0 10/टैक्स/आर. एस./असिसमेन्ट/20 - / /

तारीख.....20

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी परिषद, आगरा